# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

**परमिशन वाद सं0 02 वर्ष 2025–26**

आवेदक– नेहरू महतो
ग्राम– खलचो
थाना– चन्द्रपुरा जिला–बोकारो

क्रेता– मथुर महतो वगै0
ग्राम– खलचो
थाना– चन्द्रपुरा जिला–बोकारो

| आदेश की क्र0सं0 तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारी |
|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 |

13/6/25

## आदेश

यह वाद **आवेदक–नेहरू महतो, पिता–स्व0 जीतलाल महतो, वर्तमान पता–ग्राम–खलचो, पो0–तेलो, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खलचो** | **92** | **27** | **526** | **29 डी0** | **07 डी0** | **रैयती वर्तमान परती** | **टॉड़–II स्परूप** |

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रूपये में **क्रेता 1. मथुर महतो 2. निर्मल महतो 3. सुकर महतो सभी के पिता–स्व0 बिरू महतो, वर्त्तमान पता–ग्राम–खलचो, पो0–तेलो, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 770/रा0, दिनांक 05.04.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा के पत्रांक–568, दिनांक–31.05.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछडी जाति की श्रेणी अन्तर्गत दर्ज है। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में बुका महतो वल्द झरी महतो कौम कुरमी शाकिन देह के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–147, भौलुम सं0–1 पर पुरन महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1999–20 से 2025–26 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिकेता–नेहरू महतो, पिता–स्व0 जीतलाल महतो का संबंध परदादा का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एवं बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में बुका महतो वल्द झरी महतो कौम कुरमी शाकिन देह के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–147, भौलुम सं0–1 पर पुरन महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1999–20 से 2025–26 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं

हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछडी जाति की श्रेणी अन्तर्गत दर्ज है। बिकेता एवं केता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो बिक्रेता–नेहरू महतो, पिता–स्व0 जीतलाल महतो को उक्त भूमि खतियान एवं घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–नेहरू महतो, पिता–स्व0 जीतलाल महतो, वर्तमान पता–ग्राम–खलचो, पो0–तेलो, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

| मौजा | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिक्री रकबा | उत्तर सीमा | द0 सीमा | पूरब सीमा | पश्चिम सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खलचो 92** | **27** | **526** | **29 डी0** | **07 डी0** | **धनंजय महतो** | **नीज आवेदक** | **महावीर कुम्हार** | **नीज विपक्षीगण है** |
| | | | कुल | 07 डी0 (सात डिसमिल जमीन मात्र) | | | | |

मो0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम् भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता 1. मथुर महतो 2. निर्मल महतो 3. सुकर महतो समी के पिता–स्व0 बिरू महतो, वर्तमान पता–ग्राम–खलचो, पो0–तेलो, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

3.6.2025

**भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता**
**बेरमो (तेनुघाट)।**

3.6.2025

**भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता**
**बेरमो (तेनुघाट)।**

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.11.07 12:59:01 +05:30
Location: 10.93.6.142